निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 49/अपील/20

01. हेमराज आ0 देवीलाल शर्मा आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण नि0 मोलक्या खुर्द हाल नि0 आ टी ओ आफिस के पीछे,छत्रपुरा कोटा जिला कोटा
02. रूपनारायण आ0 देवीलाल शर्मा आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण नि0 मोलक्या खुर्द हाल नि0 आ टी ओ आफिस के पीछे,छत्रपुरा कोटा जिला कोटा
03. रमेश आ0 देवीलाल शर्मा आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण नि0 मोलक्या खुर्द तहसील बकानी
04. कोमल आ0 देवीलाल शर्मा आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण नि0 मोलक्या खुर्द तहसील बकानी

(अपीलान्ट्स)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.09.2020 न्यायालय तहसीलदार बकानी मि0न0 444/20

उपस्थितः– श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 22.10.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न0 444/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट्स को ग्राम मोलक्या खुर्द की आराजी खसरा न0 299 व 377 कुल किता 02 रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर 90–90 दिवस का सिविल कारावास व 29 रूपये जुर्माना की सजा का दोषी घोषित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नही दिया ,अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विधिक मस्तिष्क का उपयोग नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट 1 व 2 ग्राम मोलक्या में नही रहकर कोटा में निवास करते हैं। अपीलान्ट की आराजी के लगवा ही चरागाह भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है । अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट्स की और से कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी।

इस निर्णय के माध्यम से तहसीलदार बकानी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निर्णय पारित करते समय अतिक्रमी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की स्थिति में पूर्व में निर्णित पत्रावली का मिसल नम्बर व निर्णय दिनांक का अंकन कर पूर्व में पारित निर्णय की प्रति भी पत्रावली में संलग्न करें जिससे की अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो सके इस बाबत न्यायालय हाजा के माध्यम से पूर्व में भी सभी तहसीलदारान को निर्देशित किया जा चुका है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़